पत्र सं0-ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु-/14-15/ 2709 /141512। /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(वि0अनु0शा0-अनुभाग)
दिनांक:: लखनऊ:: जनवरी 9 2015

समस्त

जोनल एडीशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
एडीशनल कमिश्नर-ग्रेड-2(वि0अनु0शा0)वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश।

वि0अनु0शा0 संदर्भित करनिर्धारण वादों की समीक्षा से स्पष्ट है कि प्रदेश में दिसम्बर माह तक लगभग 12000 वि0अनु0शा0 वाद निस्तारण हेतु लम्बित है। इनमें निहित करापवंचन टर्नओवर की धनराशि अधिक होने के कारण इनका प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण होना आवश्यक है। अत: कृपया अपने जोन के समस्त करनिर्धारण अधिकारियों को निर्देशित करते हुये उनसे करनिर्धारण वर्ष-2013-14 तक के रु0 एक करोड़ से अधिक के करापवंचित टर्नओवर वाले समस्त वि0अनु0शा0 संदर्भित वादों का निस्तारण दिनांक 28-2-2015 तक कराया जाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त वि0अनु0शा0 संदर्भित प्रतिवेदनों के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर अस्थाई करनिर्धारण की कार्यवाही सम्पन्न होनी चाहिये। अत: यह भी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के वि0अनु0शा0 संदर्भित प्रतिवेदनों के आधार पर शत-प्रतिशत अस्थाई करनिर्धारण की कार्यवाही भी दिनांक 31-03-2015 तक सम्पन्न कराने की व्यवस्था करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत करायें।

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।